



2026:AHC: 59726

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 412/2025

प्रदीप

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : आशीष त्यागी, चंद्र प्रकाश सिंह, कपिल त्यागी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अर्धेन्दु शेखर शर्मा, शासकीय अधिवक्ता, राम बाबू शर्मा

न्यायालय संख्या- 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आपराधिक अपील अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, गाजियाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 231 वर्ष 2019, अंतर्गत धारा 452, 302, 307, 506, 147, 148, 34, 120-बी भा.द.सं. और एस.सी./एस.टी. अधिनियम

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की धारा 3(2)(5), थाना लोनी, जिला गाजियाबाद में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.09.2024 को अपास्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया है।

3. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि 20.02.2019 को लगभग 08:00 बजे शाम को, अपीलकर्ता ने सह-अभियुक्त संजू और संदीप के साथ कथित तौर पर सूचनाकर्ता के भाई पर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप उसे गोली से चोटें आईं और बाद में वह उक्त चोटों के कारण दम तोड़ गया।

4. यह अपीलकर्ता का तीसरा जमानत आवेदन है। पिछला जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 237 वर्ष 2024 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान जमानत आवेदन मुख्य रूप से लंबी कारावास अवधि और समरूपता के आधार पर बल दिया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि 18 अभियोजन गवाहों में से अब तक केवल 5 गवाहों का परीक्षण किया गया है और निकट भविष्य में विचारण के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

6. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सह-अभियुक्त संदीप और संजू को क्रमशः आपराधिक अपील संख्या 5352 वर्ष 2022 और 6690 वर्ष 2023 में पारित आदेशों दिनांक 15.05.2023 और 16.10.2023 के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और वर्तमान अपीलकर्ता का मामला समान स्तर पर है, इसलिए वह भी समरूपता के आधार पर जमानत का हकदार है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता 19.09.2019 से कारागार में है और उसने उस पर आरोपित आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो, को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट कर दिया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से एस.सी./एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व नहीं बनते हैं।

8. इसके विपरीत, सूचक के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है और उसे गोली चलाने की विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपराध हत्या और हत्या के प्रयास से संबंधित बहुत गंभीर प्रकृति का है और इसलिए अपीलकर्ता इस न्यायालय से किसी भी अनुग्रह का पात्र नहीं है।

9. सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि केवल लंबी कारावास अवधि जमानत का आधार नहीं हो सकती है जहाँ आरोप गंभीर हैं और अभियुक्त की भूमिका विशिष्ट है। सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या 9655 वर्ष 2021 से उत्पन्न आपराधिक अपील संख्या 861 वर्ष 2022 के वाद में 20.05.2022 को निर्णीत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि जमानत देते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गुरुता, दंड की गंभीरता, प्रथम दृष्टया साक्ष्य, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया है कि अपराध की गुरुता और अपीलकर्ता की विशिष्ट भूमिका को देखते हुए, वह जमानत का हकदार नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए विरोधी प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया है और संपूर्ण अभिलेख तथा आक्षेपित आदेश का परिशीलन किया है।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के विरोधी प्रस्तुतिकरणों, अपीलकर्ता की कारावास अवधि (19.09.2019 से), इस तथ्य को कि 18 अभियोजन गवाहों में से अब तक केवल 5 गवाहों का परीक्षण किया गया है, विचारण की धीमी गति, समरूपता के आधार पर समान रूप से रखे गए सह-अभियुक्त को जमानत दिए जाने, और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपीलकर्ता ने जमानत के लिए मामला बना लिया है।

12. जहाँ तक सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (उपरोक्त)** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने का संबंध है, उपर्युक्त कारणों से तथ्यों पर यह अलग है। इसके अलावा, त्वरित विचारण का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पहलू है और जहाँ अभियुक्त काफी अवधि से जेल में है और निकट भविष्य में विचारण समाप्त होने की संभावना नहीं है, वहाँ निरंतर अभिरक्षा न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी।

13. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता के जमानत आवेदन को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश दिनांक 10.09.2024 एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

14. उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त अपीलकर्ता प्रदीप को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश जारी होने से पहले, प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाएगा:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- (i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) अपीलकर्ता अभियोजन गवाह (गवाहों) पर दबाव नहीं डालेगा/ न ही डराएगा-धमकाएगा।
- (iv) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) अपीलकर्ता वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने से हतोत्साहित न हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करे।
- (vi) अपीलकर्ता नियत प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
- (vii) जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर अपीलकर्ता कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (viii) अपीलकर्ता दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

15. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के स्थिति में, अभियोजन पक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. चूंकि यह आदेश अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

23 मार्च, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रवींद्र के. सिंह

(न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव)

Translated Version. Not For legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”